न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 179/2010 (उदयपुर डिक्री)

1. स्वर्गीय श्रीमती सुन्दर बाई बेवा स्वर्गीय श्री भवानीसिंह देवड़ा मृतक के विधिक प्रतिनिधि :–
   1/1. श्रीमती लाली कुंवर पत्नी श्री सोहनसिंह जी चुण्डावत, निवासी खेतपाल का गुड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. उदयसिंह पिता स्वर्गीय श्री भवानीसिंह देवड़ा, निवासी 14–बी, पाठों की मगरी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. स्वर्गीय जोधसिंह पिता प्रतापसिंह देवड़ा मृतक के विधिक प्रतिनिधि :–
   1/1. श्रीमती मनोहर कंवर पत्नी स्वर्गीय जोधसिंह जी देवड़ा
   1/2. किशोरसिंह पुत्र स्वर्गीय जोधसिंह जी देवड़ा
   1/3. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्वर्गीय जोधसिंह जी देवड़ा
   1/4. श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी स्वर्गीय जोधसिंह जी देवड़ा
   सभी निवासी मकान नं॰ 1023, पाठों की मगरी, सेवाश्रम चौराहा, उदयपुर
2. हरिसिंह पिता प्रतापसिंह देवड़ा
3. श्रीमती हेम कुंवर विधवा करणसिंह जी देवड़ा
4. ईश्वरसिंह पिता स्वर्गीय श्री करणसिंह देवड़ा अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती हेम कुंवर विधवा करणसिंह जी देवड़ा, निवासी पाठों की मगरी, उदयपुर (राज.)
5. गजेसिंह पिता स्वर्गीय श्री करणसिंह देवड़ा अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती हेम कुंवर विधवा करणसिंह जी देवड़ा, निवासी पाठों की मगरी, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती शान्ता कुंवर पुत्री श्री माधूसिंह देवड़ा पत्नी सुल्तानसिंह राणावत, निवासी बरोडिया वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
7. श्रीमती लाली कुंवर पुत्री श्री माधूसिंह देवड़ा पत्नी भंवरसिंह राणावत, निवासी बरोडिया वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
8. श्रीमती धर्म कुंवर पुत्री श्री माधूसिंह देवड़ा पत्नी भोपालसिंह राणावत, निवासी बरोडिया वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

9. श्रीमती कंचन कुंवर पुत्री श्री माधूसिंह देवड़ा पत्नी जोधसिंह राणावत, निवासी बरोडिया वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
10. स्वर्गीय श्रीमती डूंगर कुंवर मृतक के बजाय विधिक प्रतिनिधिगण :–
    10/1. देवीसिंह पिता श्री केसरसिंह डुलावत
    10/2. बलवन्तसिंह पिता श्री केसरसिंह डुलावत
11. श्रीमती लज्जा कुंवर माधूसिंह देवड़ा पत्नी नाहरसिंह डुलावत, निवासी बरवासन माताजी के पास, डुलावतों का गुड़ा, पोस्ट कडिया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. स्वर्गीय शंभुसिंह जी देवड़ा मृतक के बजाय विधिक प्रतिनिधिगण :–
    12/1. श्रीमती रोड़ी कवर पत्नी स्वर्गीय शंभुसिंह जी देवड़ा
    12/2. श्रीमती नीमा कवर पत्नी स्व॰ प्रेमसिंह पिता स्व॰ शंभुसिंह जी देवड़ा
    12/3. गणपतसिंह पिता स्वर्गीय प्रेमसिंह पिता स्व॰ शंभुसिंह जी देवड़ा
    12/4. सुश्री उर्मिला कुंवर पुत्री स्वर्गीय प्रेमसिंह पिता स्वर्गीय शंभुसिंह जी देवड़ा, निवासी पाठों की मगरी, सेवाश्रम चौराहा, उदयपुर।
    12/5. श्रीमती मीरा कवर पत्नी फतहसिंह चुण्डावत पिता स्वर्गीय शंभुसिंह जी देवड़ा, निवासी शिव कॉलोनी, पुराना आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, प्रतापनगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. स्वर्गीय रायसिंह जी देवड़ा मृतक के बजाय विधिक प्रतिनिधिगण :–
    13/1. श्रीमती गंगा कंवर पत्नी स्व॰ रायसिंह देवड़ा, नि॰ पाठों की मगरी
    13/2. देवीसिंह पुत्र स्वर्गीय रायसिंह जी देवड़ा, निवासी पाठों की मगरी
    13/3. श्रीमती गीता कंवर पत्नी हरिसिंह पुत्री स्वर्गीय रायसिंहजी देवड़ा, निवासी गांव वाना बरोडिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
14. किशनसिंह पिता स्वर्गीय केसरसिंह जी देवड़ा, निवासी पाठों की मगरी
15. छगनसिंह पिता स्वर्गीय केसरसिंह जी देवड़ा, निवासी पाठों की मगरी
16. लालसिंह पिता स्वर्गीय केसरसिंह जी देवड़ा, निवासी पाठों की मगरी
17. श्रीमती सोहन कुंवर पत्नी चेनसिंह राणावत पुत्री स्वर्गीय केसरसिंह देवड़ा, निवासी बरोडिया वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
18. श्रीमती प्यारीबाई पत्नी तेजसिंह जी डुलावत पुत्री स्वर्गीय श्री केसरसिंह देवड़ा, निवासी पातलपुरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
19. अर्जनसिंह उर्फ अर्जुनसिंह देवड़ा पिता चन्दनसिंह जी देवड़ा, पाठों की मगरी, उदयपुर (राज.)

20. फतहलाल पिता रूपा जी डांगी, निवासी हिरण मगरी सेक्टर नंबर 4, मेन हाईवे रोड़, पी. एण्ड टी. कॉलोनी के सामने, मयूरवन कॉम्पलेक्स, भाग्यश्री कॉलोनी, रोड़ नंबर 1, उदयपुर (राज.)
21. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 08.07.2010 प्र.सं. 314/01

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री महेश भट्ट अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3. श्री तुलसीराम डांगी अभि.रे.सं. 12 से 17 व 20
4. श्री मानाराम डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 6 व 11
5. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 21

———:::———

निर्णय **दिनांक 08–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा, 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 के पिता भवानीसिंह पिता रामसिंह जी देवड़ा थे, जिनका देहान्त हो चुका है। वादीगण के मौरूस रामसिंह पिता रोड़सिंह जी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व प्रतिवादी 19 के मौरूस माधूसिंह पिता खुमाणसिंह उर्फ खूमसिंह, चन्दनसिंह पिता जगरूपसिंह, प्रतापसिंह पिता पदमसिंह के खाते में मौजा आयड़ की वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित अराजियात कुल किता 12 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमियों से प्रतिवादी संख्या 12 से 18 के मौरूस केसरसिंह जी का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि में से 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि सरकार द्वारा अनाथालय के लिए अवाप्त की गयी और एवजाने में अवाप्त शुदा भूमि दुगने क्षेत्रफल की भूमि ग्राम डाकन कोटडा में आराजी नंबर 1327/1 रकबर 23 बीघा 1 बिस्वा आवंटित की। यह भूमि संवत् 2017

के राजस्व अभिलेख में प्रतापसिंह पिता पदमसिंह, माधोसिंह पिता खुमानसिंह, भवानीसिंह पिता रामसिंह, केसरसिंह पिता हिम्मतसिंह और अजुनसिंह पिता चन्दनसिंह के नाम सहखातेदारी में दर्ज कर दी गयी, किन्तु इसमें केसरसिंह पिता हिम्मतसिंह का नाम सहवन से अंकित हो गया, क्योंकि केसरसिंह की कोई जमीन आयड़ में एक्वायर नहीं हुई थी, इस कारण एवजाने में डाकन कोटडा में दी गयी जमीन में केसरसिंह का नाम गलत दर्ज हुआ है। केसरसिंह का डाकन कोटडा की उक्त भूमियों पर कभी कब्जा नहीं रहा। केसरसिंह का देहान्त हो चुका है तथा उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 12 से 18 का भी उक्त भूमियों पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। जिस समय डाकन कोटडा की भूमियां पक्षकारान को आवंटित की गयी उस समय पक्षकारान ने आपसी समझाईश से यह तय किया था कि उपरोक्त आयड़ वाली भूमियों में जिसका जितना हक है, उसी हक में इस जमीन पर काबिज रहेंगे। आयड़ वाली जमीन में सबसे अधिक हिस्सा भवानीसिंह जी का था इस कारण आपसी विभाजन में उन्हें डाकन कोटडा में 1/2 हिस्सा दिया जाकर काबिज करा दिया गया, शेष 1/2 हिस्से पर सहखातेदार एडजेस्ट हो गये। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्राम डाकन कोटडा में जो जमीन एवजाने में दी गयी थी उसमें सभी सहखातेदारों का समान हिस्सा नहीं था, इस वजह से हिस्से बाबत् किसी प्रकार का कोई उल्लेख उस समय से लेकर आज तक किसी जमाबन्दी में नहीं किया गया। हाल भू–प्रबन्ध में ग्राम डाकन कोटडा स्थित उपरोक्त आराजी नंबर 1327/1 के नये नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 6 अनुसार कुल किता 11 रकबा 4.9800 हैक्टर पड़े, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा होकर चारों ओर पत्थर की कोट बना रखी है। हाल आराजी नंबर 2740 से 2745, 4761, 4762 कुल किता 8 पर वादीगण का 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। आराजी नंबर 2762 पर वादीगण ने कुंआ खुदवा रखा है तथा आराजी नंबर 2740 पर बोरिंग करवा रखी है, जिसमें वादीगण का पुराना राड़ा जी का स्थान है। ये तीनों कार्य वादीगण ने अपने खर्चे से किये हैं। इस कारण इन कुंओं से प्राप्त होने वाले पानी का उपयोग–उपभोग वादीगण अकेले करते चले आ रहे हैं एवं बिजली का कनेक्शन ले रखा है। अभी हाल में जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादी संख्या 2 एवं 19 के मन में बननियती आ गयी तथा प्रतिवादी संख्या 20 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया है। प्रतिवादी संख्या 20 अजनवी

केता है जिसे बिना विभाजन भूमि के विशिष्ट भाग पर प्रवेश का अधिकार नहीं है। विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण भी त्रुटि पूर्ण दर्ज कर दिया गया है। उपरोक्त सभी कार्यवाही विधि विरूद्ध है। वादीगण के नाम 19/34 हिस्से होना चाहिए था और केसर सिंह जिसे मरे असरा हो चुका है उसका नाम हटाया जाना चाहिए। अतएवं वादी को वादग्रस्त भूमि के 19/34 हिस्से का खातेदार काश्तकारी घोषित किया जावे तथा हाल आराजी नंबर 2740 से 2745, 4761, 4762 कुल किता 8 उसे विभाजन में दी जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 से 11 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 द्वारा विशिष्ठ खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 12 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण को ग्राम आयड़ में स्थित उनकी भूमि की अवाप्ति के एवजाने में प्राप्त हुई ? ..... वादीगण
2. आया ग्राम आयड़ में वादीगण का 5 बीघा 8 बिस्वा से कुछ अधिक रकबा अवाप्त किया गया इसलिए वे उसका दुगना यानि 11 बीघा 16 बिस्वा से कुछ अधिकार वादग्रस्त भूमि में क्लेम करने के अधिकारी होने से उनका वादग्रस्त भूमि में 19/34 वां हिस्सा है ? ..... वादीगण
3. आया केसरसिंह पिता हिम्मतसिंह देवड़ा की आयड़ में कोई जमीन अवाप्ति में नहीं गयी इसलिए उसका नाम अभिलेख में गलती से दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 12 से 18 का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख से हटवाने के वादीगण अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
4. आया वादीगण ने अपने खर्चे पर आराजी नंबर 2762 व 2740 पर कुंआ व दो बोरिंग खुदवाकर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया और वे अकेले इन कुंओं से अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई कर रहे हैं ? ..... वादीगण
5. आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 व 19 द्वारा प्रतिवादी संख्या 20 के पक्ष में निष्पादित किये गये विक्रय विलेखों से बाध्य नहीं हैं ? ..... वादीगण

6. आया नामान्तकरण क्रमांक 295 व 334 प्राप्त से ही शून्य व अवैध होकर वादीगण इनसे बाध्य नहीं हैं ? ..... वादीगण

7. आया दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 व 16 ने वादग्रस्त भूमि बाबत् विक्रय विलेख निष्पादित किये यदि हॉ तो इनका वाद पर क्या असर है ? ..... वादीगण

8. आया वादीगण वादग्रस्त आराजियात का विभाजन करा 11 बीघा 16 बिस्वा से कुछ अधिक यानि 19/34 वां हिस्सा विभाजन में प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? ..... वादीगण

9. आया वादग्रस्त भूमि में माधुसिंह का 1/5 वां हिस्सा था और प्रतिवादी संख्या 6 से 11 ने अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग अपने भाई करणसिंह के पक्ष में कर दिया ? ..... प्रतिवादी संख्या 3 से 11

10. आया प्रतिवादी संख्या 2 व 19 का वादग्रस्त भूमि में 3/10 वां हिस्सा था तथा प्रतिवादी संख्या 20 ने उनका अविभाजित 3/10 वां हिस्सा क्रय किया ? ..... प्रतिवादी संख्या 20

11. आया प्रतिवादी संख्या 12 से 18 का वादग्रस्त भूमि में 1/5 वां हिस्सा था और प्रतिवादी संख्या 17 व 18 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 से 16 के पक्ष में त्याग दिया ? ..... प्रतिवादी संख्या 12 से 18

12. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 08–07–2010 से वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–08–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 से 17 व 20 की ओर से वकील श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 11 की ओर से वकील श्री मानाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 21 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन दिनांक 16–01–2018 पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त आवेदन के साथ सन् 1950 के रजिस्टर इन्तकाल रद्दोबदल ग्राम डाकन कोटडा की प्रमाणित प्रति, जो कि दिनांक 13–11–2017 को उन्हें प्राप्त हुई है, पेश की तथा उसके साथ मूल पत्रावली संख्या 8/114 संवत् 2007 की मिसल प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत उसके द्वारा किये गये आवेदन की प्रतिलिपियां भी पेश की।

उक्त दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां होने से दस्तावेज रजिस्टर इन्तकाल रद्दोबदल ग्राम डाकन कोटडा रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। प्रकरण में जहां तक सूचना से संबंधित आवेदन के बाबत् इस न्यायालय द्वारा आदेश 11 नियम 12 के आवेदन को दिनांक 16–08–2017 को खारिज किया जा चुका है तद्नुसार अन्य दस्तावेज न तो प्रसांगिक हैं न ही प्रमाणित प्रतियां, जिन्हें रेकार्ड पर नहीं रखा जा सकता। तद्नुसार दस्तावेज रजिस्टर इन्तकाल रद्दोबदल ग्राम डाकन कोटडा रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने सबसे महत्वपूर्ण तनकी नंबर 1 का निर्णय गलत तरीके से बिना पक्षकारान की शहादत व अभिकथन के पढ़े कर दिया है। यह तनकी इस बाबत् थी कि क्या आयड़ स्थित भूमि की अवाप्ति के बदले वादग्रस्त भूमि एवजाने में सरकार द्वारा दी गयी है। यह तनकी अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा वाद पत्र की चरण संख्या 8 पर आधारित है, जिसका कोई ठोस खण्डन रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य तनकियों का भी त्रुटि पूर्ण निर्णय किया गया है।

→ हमारे द्वारा इस तनकी बाबत् अधिनस्थ न्यायालय की फाईडिंग का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत् जो विवेचन किया गया है उसमें यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया गया है कि ग्राम डाकन कोटडा में आवंटित आराजी नंबर 1327/1 पक्षकारान की मौरूसी खाते में दर्ज थी, परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिससे साबित हो कि वादीगण को साबिक आराजी नंबर 1327/1 उक्त साबिक नंबर के अवजाने में प्राप्त हुई हो। न ही भूमियां डाकन कोटडा में देने की बात लिखा है न ही भूमि दुगनी देने की बात लिखी है।

अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त विवेचन हम अधिनस्थ न्यायालय में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण नहीं पाते हैं, परन्तु मूल प्रश्न यह है कि ग्राम आयड़ की भूमियां जो कि पक्षकारान की मौरूसी थी, उन्हें अवाप्त किया गया है, जो प्रदर्श 12–ए से सुस्पष्ट है। रजिस्टर इन्तकाल रद्दोबदल जो सन् 1950 का होकर इस न्यायालय में पेश किया गया है, उसमें आराजी नंबर 1327 रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से 23 बीघा 1 बिस्वा भूमि आराजी नंबर 1327/1 के रूप में वर्तमान पक्षकारान के पूर्वजों को आवंटित की गयी है तथा विशेष नोट में सुस्पष्ट रूप से यह अंकित है कि यह भूमि अनाथालय के लिए दी गीय भूमि के एवज में काश्त के लिए दी गयी है। प्रकरण में प्रदर्श 12–ए से यह सुस्पष्ट होता है कि अनाथालय के लिए आयड़ में भूमियां ली गयी तथा इस दस्तोवज में जो कि अपील के साथ पेश हुआ है, उससे यह सुस्पष्ट है कि पक्षकारान के पूर्वजों को आराजी नंबर 1327/1 की भूमि अनाथालय के लिए ली गयी उनकी भूमि के एवजाने में दी गयी है। तद्नुसार यह सहसंबंध सुस्पष्ट रूप से यह आख्यापित करता है कि ग्राम डाकन कोटडा की साबिक आराजी नंबर 1327/1 अनाथालय के लिए अवाप्त शुदा जमीन के बदले पक्षकारान के पूर्वजों को आवंटित की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 के संबंध में दी गयी फाईडिंग में इस तनकी का निर्णय सिर्फ इस आधार पर कर दिया है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे डाकन कोटडा की भूमियां आयड़ में दी गयी अनाथालय की भूमियों के बदले दी गयी हो। यह दस्तावेज जो कि अपील के साथ प्रस्तुत हुआ है, उससे विवादित डाकन कोटडा के साबिक आराजी नंबर 1327/1

अनाथालय के लिए अवाप्त शुदा भूमि के बदले दिये जाने का सहसंबंध स्थापित होता हैं तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 के संबंध में पारित निर्णय इस दस्तावेज के बरूऐ पुनः साक्ष्य साबूत व खण्डन में साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय किये जाने का मोहताज रहता है। इस दस्तावेज में में आराजी नंबर 1327/1 में पक्षकारान का किसी प्रकार का हिस्सा दर्ज नहीं है, हालांकि प्रदर्श 12–ए में वादी के पूर्वजों द्वारा सर्वाधिक करीब आधी भूमि दी गयी है, तद्नुसार यह भी स्पष्ट होता है कि भूमियों जो अनाथालय के लिए अवाप्त की गयी हैं, उसमें भूमि के हिस्से के बरूऐ अवाप्ति के बदले दी गयी भूमि में हिस्से दर्ज नहीं किये गये थे, जो पेश शुदा जमाबन्दी ग्राम डाकन कोटडा संवत् 2037 से 2040 से भी स्पष्ट है। तद्नुसार तनकी नंबर 1 में पेश शुदा दस्तावेजात के बरूऐ पुनः साक्ष्य लेकर सुनवाई करने का मोहताज रहता है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण हो जाता है।

प्रकरण में जहां तक तनकी संख्या 2 का प्रश्न है, जिसमें वादीगण का हिस्सा करीब आधा अवाप्त होने से अवाप्ति के बदले मिली जमीन में उसका आधे से अधिक हिस्सा होने प्रश्न है। प्रदर्श 12–ए तथा अपील में पेश शुदा नवीन दस्तावेज के बरूऐ यह तनकी भी पुनः विवेचन की मोहताज रहती है।

जहां तक तनकी नंबर 3 का प्रश्न है, यह तनकी भी इस न्यायालय पेश शुदा नये तथ्यों के बरूऐ साक्ष्यों की मोहताज रहती है तथा केसरसिंह की जमीन अवाप्त हुई अथवा नहीं। यदि उनकी जमीन आयड़ में अवाप्त नहीं हुई तो उसका नाम डाकन कोटडा की भूमियों में क्यो दर्ज हुआ ? अधिनस्थ न्यायालय ने इस तनकी का निर्णय भी एवजाना भूमि प्रमाणित नहीं होने के आधार पर किया है, जो पेश शुदा नवीन तथ्यों के बरूऐ त्रुटि पूर्ण होकर पुनः साक्ष्यों की मोहताज है।

प्रकरण में पश्चातवर्ती समस्त तनकियां उपरोक्त तनकी नंबर 1, 2, 3 के निर्णय की पश्चातवर्ती तनकियां हैं। अतएवं हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपील में पेश शुदा दस्तावेज रजिस्टर इन्तकाल रद्दोबदल ग्राम डाकन कोटडा सन् 1950 के बरूऐ त्रुटि पूर्ण पाते हैं, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सिर्फ इन तथ्यों पर अवलम्बित है कि डाकन कोटडा की भूमियां आयड़ की भूमियों के एवजाने में प्राप्त होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अब इस नवीन साक्ष्य जो कि अपील में पेश की गयी है, इसके बरूऐ

प्रतिवादीगण की भी साक्ष्य लेकर उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय किया जाना उचित होगा।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–07–2010 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों से पुनः साक्ष्य प्राप्त कर एवं इस न्यायालय पेश शुदा साक्ष्य रजिस्टर इन्तकाल रद्दोबदल ग्राम डाकन कोटडा सन् 1950 के बरूऐ साक्ष्यों का विवेचन कर पुनः अजसरेनव निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08–10–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

डूंगरलाल पिता श्री केरिंग रावत मीणा नि0 झामरकोटडा फला खण्डायाफला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **घीसा पिता देवा मीणा, निवासी झामरकोटडा, कुडीनाका, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**170/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....07**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**....माह.....**06**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अरूण जैन**.....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री लक्ष्मीलाल जैन/संजय सोनी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**06**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।